न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

एस ए आर अपील 75 आर 15/06–07

जीतेन्द्र कुमार सिह — अपीलकर्त्ता

बनाम

करमा उरॉव — प्रतिवादी

आदेश

26/
1.02.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 101/00–01 टी आर 1234/01–02 में उपसमाहर्ता भूमि सुधार, सदर, रॉची द्वारा दिनांक 14.05.2003 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लाट	रकबा
गोंदा	304	1951	2½ डिसमिल

अपील आवेदन में कहा गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया एवं उन्हें नोटिस तामिल नहीं कराया गया। विवादित जमीन खतियान में बौना उरॉव वो सुखराम उरॉव के नाम दर्ज है जिन्होंने 1947 के पूर्व ही तत्कीलीन जमींदार को जमीन प्रत्यार्पित कर दिया था। वर्तमान अपीलकर्ता ने इसे बर्ष 1990 में निबंधित वसीका संख्या 3622 दिनांक 5.2.90 द्वारा अमर सिंह से खरीदा है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि निम्न न्यायालय में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था।

अतः अपील स्वीकृत किया जाता है एवं वाद पुनः सुनवाई हेतु विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची के न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है। निम्न न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि दोनों पक्षों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करें।

दिनांकः–1.2.2008 — लेखापित वो संशोधित

अपर समाहर्ता
रॉची।